Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Odisha/1/RSP/2016/RU-III **Date: 15.01.2019**

To,

1. The Chief Executive Officer,
Rourkela Steel Plant,
Rourkela - 769011 (Odisha)

8. The Collector,
District – Sundergarh,
Odisha

Sub: Proceeding of sitting taken by Hon'ble Vice – Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 22.11.2018 in the matter of representation of Shri Lachhu Oram and others persons displaced for establishment of Rourkela Steel Plant.

I am directed to enclose herewith Proceeding of Sitting held on 22.11.2018 on the above cited subject.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within months' time.

Encl: As above.

421-23
15/1/19

जारी
ISSUED

Yours faithfully,

15/1/2019

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri Lachhu Oram,
RSP and Marshalling Yard Displaced Committee,
Tangarpali, Rourkela, Sundergarh (Odisha)

2. PS to Hon'ble Vice Chairperson, NCST

3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

O/C

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Odisha/1/RSP/2016/ RU- 3)

श्री लच्छू उरांव और अन्य द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्स्थापन और रोजगार संबंधी समस्या के विषय में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 22.11.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री लच्छू उरांव, जिला सुंदरगढ़ ओडिसा और अन्य के द्वारा आयोग में अभ्यावेदन देकर राउरकेला इस्पात संयंत्र में (पूर्व में इस्पात संयंत्र) की स्थापना से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विस्थापित करने के पश्चात प्रशासन द्वारा उनकी अधिगृहित जमीन के बदले जमीन नहीं दिए जाने, प्रशासन द्वारा निर्धारित मुआवजा प्रदान नहीं किए जाने, विस्थापितों के परिवार के सदस्यों को संबंधित उपक्रम में रोजगार नहीं देने के संबंध में, साथ ही प्रशासन के द्वारा सरना पूजा स्थल में दखल देकर वहां से पूजास्थल हटाने के मामले में न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. मामले का संज्ञान लेकर आयोग ने दिनांक 22.11.2018 को आयोग में बैठक के लिए नोटिस जारी की।
3. दिनांक 22.11.2018 को स्टील प्लांट ओडिसा के महाप्रबंधक श्री एन के समांतरे बैठक में उपस्थित हुए। उन्होंने आयोग को यह अवगत कराया कि जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर अब तक कुल 6856 लोगों को स्टील प्लांट संयंत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है जबकि प्रशासन के नियमानुसार 4094 लोगों को रोजगार प्रदान करवाना था। यह निर्धारित संख्या से अधिक है। इस प्रकार संयंत्र ने विस्थापित परिवार के सदस्यों को प्रशासन द्वारा निर्धारित संख्या के स्थान पर अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। साथ ही इस्पात संयंत्र में स्थानीय युवाओं व विस्थापित परिवार के युवाओं को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दे रहा है तथा प्रशिक्षण के पश्चात सफल अभ्यर्थियों को रिक्तियों के आधार पर इस्पात संयंत्र में ही नियुक्ति प्रदान की जा रही है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. सुंदरगढ़ ओडिसा के जिला कलेक्टर श्री एस के मीणा द्वारा आयोग को यह अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा विस्थापित परिवारों के सदस्यों के साथ उनकी समस्याओं का हल सहानुभूतिपूर्वक निकाला जा रहा है। साथ ही प्रशासन के द्वारा समय-समय पर विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा जिला कलेक्टर द्वारा आयोग से यह अनुरोध किया गया कि विस्थापित लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया जाए जो सुंदरगढ़ आकर विस्थापित परिवारों तथा प्रशासन के साथ बैठ कर समाधान निकाला जाए।

5. आयोग ने इस मामले में सभी पक्षों और दस्तावेजों के परीक्षणोंपरांत निम्नलिखित अनुशंसा की है –

(क.) विस्थापित परिवारों की समस्याओं के निवारण तथा उनको रोजगार के संबंध में उत्पन्न समस्या यथा :- फर्जी दस्तावेज के आधार पर रोजगार प्राप्त 405 लोगों की जांच के लिए आयोग द्वारा जांच कमिटी बनाकर जांच की जाए। इस कमिटी को जिला प्रशासन तथा इस्पात संयंत्र द्वारा समुचित सहयोग और अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं।

(ख.) जनजाति समुदाय द्वारा सरना स्थल की पूर्व स्थिति बरकरार रखते हुए वहां पूजास्थल के रूप में की जानेवाली गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी जाए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन के संबंध में की गई कार्रवाई से 45 दिन के अंदर आयोग को सूचित किया जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Odisha/1/RSP/2016/ RU- 3)

श्री लच्छू उरांव और अन्य द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र पूर्व में इस्पात संयंत्र की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसूइया उइके उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची -

(अ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. डॉ ललित लट्टा, निदेशक
3. श्री डी सी कटोच, परामर्शदाता

(ब) राउरकेला स्टील प्लांट ओडीसा

1. श्री एन के समांतरे, महाप्रबंधक
2. श्री सी जी रामालिंगम, उप महाप्रबंधक

(स) जिला कलेक्टर कार्यालय, सुंदरगढ़, ओडीसा

1. श्री एस के मीणा, जिलाधीश

(द) अभ्यावेदनकर्ता

1. श्री लच्छू उरांव

Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. US/1/2016/MHFW1/SEOTH/RU-III

Date: 15.01.2019

To,

1. The Collector,
   District Jhunjhuni,
   Rajasthan

2. The Medical Superintendent
   Safdarjung hospital,
   New Delhi

Sub: Proceeding of sitting taken by Hon'ble Vice – Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 15.01.2019 in the matter of Representation dated 22.06.2016 of Shri Udai Singh, G-44 Gali No.6, Papravat Road Near Sani Bazar, Pram Nagar, Nazfagard regarding ST certificate.

I am directed to enclose herewith Proceeding of Sitting held on 15.01.2019 on the above cited subject.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within **15 Days**.

Encl: As above.

Yours faithfully,

16/1/2019

(Dr. Lalit Latta)
Director

<u>Copy for information and necessary action to:</u>

1. Shri Udai Singh,
   G-44 Gali No.6, Papravat Road Near Sani Bazar,
   Pram Nagar, Nazfagard, New Delhi – 110043

2. PS to Hon'ble Vice - Chairperson, NCST

3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- US/1/2016/MHFW1/SEOTH/RU-III)

श्री उदय सिंह मीणा, जी-44, गली नंबर-6, पपरावर रोड, प्रेम नगर, नजफ़गढ़, नई दिल्ली के द्वारा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली मे फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2019 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	15.01.2019
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री उदय सिंह मीणा, जी-44, गली नंबर-6, पपरावर रोड, प्रेम नगर, नजफ़गढ़, नई दिल्ली के द्वारा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली मे फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के मामले मे दिनांक 22.06.2016 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. अभ्यावेदन मे उन्होने उल्लेख किया है कि सफदरजंग अस्पताल मे कार्यरत सुरक्षा गार्ड श्री रघुवीर सिंह, रैंक नंबर 5231 ने जाति प्रमाण पत्र मे अनियमितता कर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर अनुसूचित जनजाति वर्ग मे भर्ती हो गया है। यह जाति प्रमाण पत्र संख्या- 2359, दिनांक 06.05.1995 को तहसील-चिड़ावा, जिला-झुंझुनु, राजस्थान से जारी हुआ है। उन्होने अभ्यावेदन के साथ संबन्धित राज्य के शासनादेश सहित अन्य दस्तावेज़ संलग्न कर मामले मे आयोग से न्याय का निवेदन किया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुए आयोग ने नोटिस भेजकर सफदरजंग अस्पताल प्रशासन से जानकारी मांगी। अस्पताल प्रशासन द्वारा दिये गए प्रत्युत्तर से अभ्यावेदक संतुष्ट नही हुए।
4. अभ्यावेदक ने पुनः दिनांक 04.07.2018 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर मामले मे आयोग से न्याय की अपील की।
5. आयोग ने इस मामले मे अभ्यावेदक के निवेदन पर जिला कलेक्टर, झुंझुनु से और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सफदरजंग अस्पताल से जानकारी मांगी। किन्तु संतोषजनक जवाब प्राप्त नही होने की दशा मे और अभ्यावेदक के निवेदन पर आयोग ने दिनांक 03.01.2019 को एक सीटिंग नोटिस जारी कर जिला कलेक्टर झुंझुनु को दिनांक 15.01.2019 को आयोग मे चर्चा के लिए बुलाया।
6. आयोग में चर्चा के लिए जिला कलेक्टर झुंझुनु की जगह पर तहसीलदार, चिड़ावा तथा सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग उपस्थित हुए।
7. उन्होने आयोग को अवगत कराया कि मामले मे आयोग के पत्र के अनुपालन के क्रम मे जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक की गई और बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री रघुवीर सिंह, पुत्र- श्री महादेव सिंह, निवासी लांबा गोठड़ा, तहसील- चिड़ावा का जाति प्रमाण पत्र संख्या 2359, दिनांक 06.06.1995 का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का जारी होने के बजाय गलत रूप से अनुसूचित जनजाति का बन गया है।
8. इस प्रकरण मे आयोग ने जिला छानबीन समिति के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा मे निम्नलिखित अनुशंसा करता है:-

अ॰ जिला प्रशासन और संबन्धित अधिकारी, जिला छानबीन समिति के निर्णय के अनुपालन के तहत तत्काल श्री रघुवीर सिंह, पुत्र- श्री महादेव सिंह, निवासी लांबा गोठड़ा, तहसील- चिड़ावा का गलत जारी हुए जाति प्रमाण पत्र संख्या 2359, दिनांक 06.06.1995 को निरस्त करें।

ब. निरस्त प्रमाण पत्र की सूचना के साथ ही श्री रघुवीर सिंह, पुत्र- श्री महादेव सिंह, निवासी लांबा गोठड़ा, तहसील- चिड़ावा के नियोक्ता अर्थात सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली को तत्काल प्रेषित कर नियमानुकूल समुचित कार्यवाही हेतु 15 दिवस के अंदर लिखें।

आयोग मे सम्पन्न हुई बैठक की तिथि से 15 कार्यदिवस के अंदर आयोग की अनुशंसा पर की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत कराये।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- US/1/2016/MHFW1/SEOTH/RU-III)

श्री उदय सिंह मीणा, जी-44, गली नंबर-6, पपरावर रोड, प्रेम नगर, नजफ़गढ़, नई दिल्ली के द्वारा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली मे फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2019 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री ललित लट्टा
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक

राजस्थान सरकार के अधिकारी

1. श्री सुरेश कुमार, तहसीलदार, चिड़ावा
2. श्री पवन पूनिया, सहायक निदेशक (समाज कल्याण)

अभ्यावेदक

1. श्री उदय सिंह मीणा